

२१/१२/२३

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मध्य वादीगण
अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। समय सां. ५ PM
हो चुका है। अतः वादीगण मध्य अधिवक्ता वादी के
अनुपस्थित रहने पर वादीगण का वाद भद्रहाजरी/अपम



पंखी में रवाशि किता जाना हँ। पत्रावली कँसल शुमार
होकर वम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया। /